सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 जुलाई, 2024

सप्तदश विधान सभा   बुधवार, तिथि 24 जुलाई, 2024 ई0

द्वादश सत्र   02 श्रावण, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : कार्यस्थगन समय पर आएगा तो विचार किया जाएगा । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। प्रश्नोत्तर काल के बाद यह सवाल उठाइएगा ।

(व्यवधान)

सभी का मामला है । सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं । आप स्मरण कीजिए, सर्वदलीय बैठक में आपलोगों ने ही कहा था कि हम प्रश्नोत्तर काल चलायेंगे और आज क्यों बदल रहे हैं ? जब सर्वदलीय बैठक में निर्णय आपने किया था, आपने सहमति दी थी, प्रश्नोत्तर काल चलेगा यह भी तो आपका ही है । मेंबर का ही यह काल है इसको क्यों बाधित करना चाहते हैं ? प्रश्नोत्तर काल के बाद यह सवाल उठाइएगा । बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

बैठिये-बैठिये । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(व्यवधान जारी)

बैठिये । कागज मत दिखाइए । बैठिये । सभी पोस्टर को हटा दिया जाय। सभी पोस्टर हटाइए । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जिस चीज की मांग के लिए तख्तियां लहरा रहे हैं इन्हें पता होना चाहिए कि बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही इसको नौवीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा की जा चुकी है । यह

तो नौवीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा बिहार सरकार कर चुकी है और अगर न्यायालय ने रोक दिया है, महोदय, यह तो न्यायालय ने रोका है और हमलोग तो नौवीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा कर चुके हैं तो अब यहां तख्ती लहराने की क्या जरूरत है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : इधर देखिए । माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने इसको नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिया है तब क्यों नारा लगा रहे हैं ? बैठ जाइए अपने स्थान पर । बैठ जाइए । श्री विजय कुमार खेमका ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-5 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र सं0-62, पूर्णियां)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलों को 65 हजार 713 लक्ष्य आवंटित किया गया है । इनमें से 63 हजार 531 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 31 हजार 142 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है, जो स्वीकृति के विरुद्ध 49 प्रतिशत है ।

2. 63 हजार 531 स्वीकृत आवासों में से 62 हजार 436 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 46 हजार 720 लाभुकों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया है ।

3. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्णियां जिला में 2 हजार 620 आवासों की स्वीकृति दी गई है । इनमें से 1 हजार 178 आवासों (44.96 प्रतिशत) को पूर्ण कराया गया है ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में उपलब्ध होने वाली राशि तथा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 को देखते हुए विभागीय पत्रांक-2525278, दिनांक-01.02.2024 से जिलों को 30 हजार 234 अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया था । लक्ष्य आवंटन किये हुए 5 माह का ही समय हुआ है तथा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के कारण आवास निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ है । उक्त कारणों से कुल लक्ष्य के विरुद्ध पूर्णता का प्रतिशत कम है ।

योजना अंतर्गत आवासों का निर्माण लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाता है । योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु आवास निर्माण की प्रगति के साथ सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

योजना अंतर्गत वैसे लाभुक जो स्वीकृति एवं सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें श्वेत नोटिस, लाल नोटिस निर्गत किया जाता है । इसके बाद भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने पर राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाती है । अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु विभाग स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सहित अन्य माध्यमों से नियमित अनुश्रवण किया जाता है । सरकार सभी अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु कृत संकल्पित है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा अल्पसूचित जो प्रश्न है इसके अंतर्गत...

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है । पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिया हुआ है । प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान योजना है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये पूरक ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं और हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वे दिलदार मंत्री हैं और इन्होंने बहुत विस्तृत से जवाब दिया है । महोदय, मेरा पूरक है कि इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का जो सर्वे किया गया है और उसमें जो लक्ष्य है वह पूरा किया गया है महोदय लेकिन किसी कारण से, चाहे आचार संहिता के कारण से, चाहे अधिकारी के कारण से जो लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी उसकी समय-सीमा निर्धारित करेंगे ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : क्यों हल्ला कर रहे हैं ? जो बात हो जाती है उसी के लिए क्यों शोरगुल कर रहे हैं । कल भी मैंने देखा कि कांग्रेस के मित्र भी यहाँ हल्ला कर रहे थे । कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि यह बिहार का बजट है और तब आप बजट के विरोध में बोल रहे थे ।

(व्यवधान जारी)

छीनिए इसको, बाहर कीजिए । जो आपके दिल्ली के नेता कहते हैं बिहार का बजट है, आप उसका बिहार में विरोध करते हैं । मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए फिर आप हंगामा कर रहे हैं, क्यों केवल हंगामा करना चाहते हैं ? सदन विमर्श की जगह है, विमर्श होने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया है । माननीय सदस्य की चिंता है कि जो लाभुक हैं, उनका जो आवास है समय पर पूरा हो जाय । महोदय, हमलोग लाभुकों को इसकी स्वीकृति देते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार तो आरक्षण दे चुकी है । ये मांग क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष : ये केवल शोर करना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आप पूछिये । महोदय, इन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया था । यह तो न्यायालय ने रोका है और नौवीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा की जा चुकी है तो यहां क्या मांग कर रहे हैं ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बोलिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि जो लाभुक हैं, उनका आवास समय पर पूरा होना चाहिए और लाभुकों के द्वारा यह आवास निर्माण कराया जाता है इसकी स्वीकृति सरकार की तरफ से दी जाती है । महोदय, समय पर नहीं पूरा करने वाले को श्वेत नोटिस जारी करते हैं, लाल नोटिस जारी करते हैं और इससे भी अगर वे पूरा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध और अन्य प्रकार की विधिसम्मत कार्रवाई करते हैं और हमलोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं पंचायत स्तर से लेकर, प्रखंड और जिला से लेकर, राज्य स्तर से इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं ताकि समय पर यह आवास पूरा हो जाय । माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय सदस्य भी लाभुकों से मिलते हैं तो उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करें । ऐसे सरकार की तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आवास समय पर पूरा हो जाय ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय....

अध्यक्ष : सरकार ने बड़ा साफ-साफ जवाब दिया है । एक और पूरक पूछिये बस ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े विस्तार से जवाब दिया है । अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि जो लाभुकों के लिए सर्वे हुआ है, लाभुकों का जो सर्वे हुआ है उसमें क्या सरकार लक्ष्य बढ़ाने का विचार रखती है और साथ में जो राशि निर्धारित है वह बहुत कम है क्या उसके लिए राशि बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है । हमने तो लगातार भारत सरकार को पत्र लिखा है कि जो वंचित रह गए हैं, आवास के पात्र परिवार हैं, उनका नाम नहीं है और वर्ष 2019 में हमने इसका सर्वे कराया और उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है तो भारत सरकार से अनुरोध किया है और भारत सरकार से जैसी सहमति हमको मिलेगी, पूरा सर्वे कराकर उन गरीबों का घर बनाने के लिए सूची भारत सरकार को समर्पित करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : क्यों कर रहे हैं, स्थान पर जाइएगा तब न बोलने का मौका देंगे । अपने स्थान पर जाइएगा तब न बोलने का अवसर देंगे कि वेल में से बोलिएगा ? आप बोलना नहीं चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं केवल शोर करना चाहते हैं । प्रश्नोत्तर काल चल रहा है । आपका प्रश्न है ।

(व्यवधान जारी)

वेल में से कैसे बात हो सकती है ? अपने स्थान पर जाइए, तब बोलने का मौका देंगे । पहले जायेंगे तब न, पहले जाइए । अवध विहारी बाबू, आपके नेता हैं, जब आप यहॉं थे, बताइए आप क्या करते थे, वही करवाइए । आपकी पार्टी के लोग भी हैं ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाइए । आपको भी बोलने का मौका देंगे । अपने स्थान पर जाइए। अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री ऋषि कुमार । देखिए, आपके ही पार्टी के मेंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं हम ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-180 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र सं0-220, ओबरा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

आपके मेंबर का क्वश्ेचन हम ले रहे हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-181 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र सं0-216, जहानाबाद)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : एक मिनट सुनिये, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ कर पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा ।

(व्यवधान जारी)

सुनिये न ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सुनिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम तो सब को बुलाए थे मेरी इच्छा थी न । सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये लोग भी, सब लोगों को बुलाकर के हम जब बैठक किये थे और बातचीत करके हमलोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरी जाति का जाति जनगणना कराया और एक-एक चीज के बारे में जानकारी मिली ।

(व्यवधान जारी)

सुनिये ।

टर्न-2/आजाद/24.07.2024

अध्यक्ष : बोलने दीजिए, यह तरीका नहीं है । आप सुनिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं और यह सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आपलोगों को भी कह करके करवाया था। यह मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किये थे, आप सुनिए, चुप रहिए ।

(व्यवधान जारी)

अगर बैठ करके सुनते, तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं लेकिन. ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाईए न, बैठ करके आराम से सुनिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप सुनिए न । आप सुन क्यों नहीं रहे हैं ? आप जानते हैं कि यह सब काम हमलोगों ने करवाया और जब आपलोगों के साथ थे और इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों ने सपोर्ट किया, पूरी सर्वसम्मति से......

(व्यवधान जारी)

कहां से आते, इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों ने कोई महिला को आगे बढ़ाया था ? हम तो 2005 के बाद न महिला को आगे बढ़ाये हैं, बोल रही हो ।

इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुपचाप सुनो । आपलोग सुनेंगे नहीं, हम तो सुनायेंगे, अगर आप नहीं सुनियेगा तो आपकी गलती है । आप समझ लीजिये, हम चाह रहे थे कि ये लोग समझते और एक-एक चीज को हमलोगों ने लागू कर

दिया । जो भी तय कर दिया था, पिछड़ों को जितना ज्यादा जो आया इसीलिए जो भी होता था 50 प्रतिशत, उसमें पिछड़ा, अति-पिछड़ा, दलित, महादलित और इन सबकी संख्या बढ़ी, तब हमलोगों ने 50 प्रतिशत की जगह 75 प्रतिशत किया और 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार ने अपरकास्ट के लिए किया था, उसमें हिन्दू-मुस्लिम सब थे तो उनका जो भी था 14 प्रतिशत, वह रहा और हमलोगों ने उसके लिए यह करवा दिया और लागू कर दिया । यही नहीं, अब इन लोगों को यह मालूम नहीं है कि हमलोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 94 लाख और उसमें चाहे अपरकास्ट के हों, पिछड़ा हों, अति-पिछड़ा हों, दलित हों, महादलित हों, हिन्दू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया और जो 94 लाख गरीब आये और उसके लिए हमलोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 लाख रू0 देंगे और उनको देना शुरू कर दिया 5 साल के लिए और इसके बाद नौंवी अनुसूची पर करने के लिए हमने किया है । अभी पटना के हाईकोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ और केन्द्र सरकार को नौंवी अनुसूची पर करने के लिए अनुरोध किया है तो यह सब काम हमलोग कर रहे हैं तो किस बात के लिए आपलोग यहां पर हमलोगों के खिलाफ हैं । यह सब चीज तो हम ही न किये हैं और आपलोग साथ दिये हैं । आप लोगों को कुछ आईडिया था, आप सही बोलिए। आप कांग्रेसी हैं, आप सही बात बोलिए । आप कोई बात माने थे, कल बड़ा भारी आन्दोलन कर रहे थे और जब हम 2010 से आन्दोलन कर रहे थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपकी पार्टी ने इसको नहीं किया और आप दोनों एक साथ थे और अब आजकल बोल रहे हैं । ऐसे ही आपलोग क्यों बोलते हैं ? हमलोगों ने केन्द्र को जो कह दिया तो केन्द्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को और आप देख रहे हैं कि केन्द्र के द्वारा अतिरिक्त रूप से मदद दिया जा रहा है । जो कुछ भी हमलोगों ने जिसके लिए कहा है, उसके लिए भी वे करेंगे । कल जो हंगामा कर रहे थे, उसका जवाब और आज जो कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है । पूरा का पूरा हमलोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गये हैं, यह ठीक नहीं है और केन्द्र को भी हमलोगों ने दे दिया है पहले से कि इसको नौंवी सूची में शामिल कीजिए । इसलिए आपलोग बैठिए आराम से, आपको बता दिये कि हमलोग खुद लगे हुए हैं । आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम ही लगे हुए हैं, झूठ में क्यों लगे हुए हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाईए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ-साफ सारी बातें बता दी है, अब कोई मुद्दा ही नहीं है । इसलिए आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाईए और प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए । आपके मेम्बर का एक प्रश्न है, ऐसे बोलेंगे तो नहीं हो सकता है, पहले आप अपने मेम्बर्स को बैठाईए, मैं उनको अवसर दूँगा, आप पहले उन लोगों को बैठाईए । आप अपने लोगों को बैठने के लिए कहिए, मैं अवसर दूँगा, सब लोग अपने-अपने स्थान पर जाईए, बोलने के लिए हम पूरा अवसर देंगे लेकिन पहले आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाईए । वेल में खड़ा होकर के हम बोलने के लिए अवसर नहीं देने वाले हैं । आपलोग अपने स्थान पर जाईए, हम आपलोगों को बोलने के लिए अवसर देंगे ।

माननीय सदस्य श्री राम सूरत कुमार ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-182 (श्री राम सूरत कुमार, क्षेत्र सं0-89, औराई)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है।

1. खनुआ से डकरमा पथ- इस पथ की लम्बाई 1.30 किलोमीटर है, जिसका निमार्ण शीर्ष MMGSY अन्तर्गत डकरमा से NH-77 के नाम से की गई थी, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है ।

2. भवानीपुर मोड़ से डिहजिपुर से एकमा होते हुए मटिहानी से हरपुर पथ- इस पथ की लम्बाई 5.78 किलोमीटर है, जिसका निमार्ण शीर्ष PMGSY अन्तर्गत अदमपुर निस्फी भवानीपुर हरपुर नाम से की गई थी, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है ।

तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर उक्त दोनों पथों की मरम्मति/उन्नयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ राम ।

तारांकित प्रश्न सं0-'ठ'183 (श्री विश्व नाथ राम, क्षेत्र सं0-202, राजपुर, (अ0जा0))

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-184 (श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र सं0-19, मोतिहारी)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न एक पुलिया एवं एक पुल से संबंधित है ।

1. पी0डब्लू0डी0 ढाका रोड से ग्रामीण कार्य विभाग के पथ टिकुलीया गाँव जोड़ने वाला महादलित बस्ती एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय के निकट पुलिया- उक्त पुलिया PMGSY अन्तर्गत निर्मित पथ L032 से ईस्ट टिकुलिया भाया धोबी टोला के आरेखन पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है । क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नये 6m x 4m Rcc पुलिया के निर्माण हेतु चेक लिस्ट प्राप्त हुआ है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर इसके निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

2. झीटकहया पंचायत के सहनी टोला पथ में पुलः-उक्त पुल PMGSY अन्तर्गत निर्मित पथ T06 से मलाह टोली पथ के आरेखन पर अवस्थित है, जो क्षतिग्रस्त है । उक्त पथ के मरम्मति हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत DPR प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 14.50 मीटर लम्बाई के नया RCC पुल का निर्माण का भी प्रावधान किया गया है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, कब तक निधि की उपलब्धता होगी और इसको इसी वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री महोदय बनाना चाहेंगे ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हमने साफ-साफ कहा है कि निधि की उपलब्धता, निधि जैसे ही विभाग को उपलब्ध होगी, प्रायरिटी पर है, इसको बना दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-185 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र सं0-214, अरवल)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-186 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र सं0-220, ओबरा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

टर्न-3/शंभु/24.07.24

तारांकित प्रश्न सं0-187(श्री उमाकांत सिंह)क्षेत्र सं0-7,चनपटिया

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की कुल लंबाई 8.50 कि0मी0 है, जिसके तीन पथांश हैं । पहला महनागनी चौक से मझौलिया पथ- इस पथ की

लंबाई 4.50 कि0मी0 है, जिसकी मरम्मति शीर्ष 3054 अन्तर्गत करायी गयी थी, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है ।

दूसरा मझौलिया से भानाचक सीमा पथ- इस पथ की लंबाई 1.50 कि0मी0 है । यह पथ पूर्व में जिला योजनान्तर्गत निर्मित है, जो क्षतिग्रस्त है । एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत उक्त दोनों पथों को सम्मिलित कर कुल 6.00 कि0मी0 लंबाई के लिए ट्रैफिक सर्वे के फलाफल के आधार पर कैरेज-वे का प्रावधान करते हुए निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

तीसरा भानाचक से बिशुनपुरवा पथ- इस पथ की लंबाई 2.50 कि0मी0 है, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । यह पथ राजघाट तक जाती है । पथ शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत स्वीकृत है एवं निविदा की प्रक्रिया में है । ट्रैफिक सर्वे के आधार पर पथ का कैरेज-वे 3.75 मीटर रखी गयी है । निविदा निष्पादन के उपरांत पथ का उन्नयन कार्य कराया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है कि तीनों सड़क पांच वर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । महोदय, यह सड़क ही प्रखंड अंचल, मझौलिया चीनी मिल, हाईस्कूल और सुगौली का मुख्य मार्ग है और काफी जर्जर तीनों सड़क है तो कब तक यह सड़क बनेगा ? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि तीनों सड़क के लिए माननीय मंत्री महोदय एक समय सीमा के अंदर बता दें कि कब तक बन जायेगा, बहुत होगा तो यह 6 कि0मी0 होगा ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि ये प्रायोरिटी पर रोड है, डी0पी0आर0 बनकर तैयार पड़ा हुआ है जैसे ही सरकार के पास निधि उपलब्ध होगी हम प्रायोरिटी पर इसको लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-188(श्री पंकज कुमार मिश्र)क्षेत्र सं0-29,रून्नीसैदपुर</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में अवस्थित बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावट के तहत मोबाइल ऐप द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है जिसका सर्वे आइ0डी0-29430 है । तद्नुसार समीक्षोपरान्त प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिए ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दो रोड कर दिये हैं पर एक मेरा जो रोड है ठिकौली यह आजादी के 70 साल बाद भी आज तक दलित, महादलित टोला है, अति पिछड़ा का टोला है मगर अभी तक वह 2 कि0मी0 रोड नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उस रोड को जल्द से जल्द करा दें । यही मैं उनसे आग्रह और विनती कर रहा हूँ ।

तारांकित प्रश्न सं0-189(श्री महानंद सिंह)क्षेत्र सं0-214,अरवल

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-190(श्री अवध बिहारी चौधरी)क्षेत्र सं0-105,सीवान

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप ही आर्डर में नहीं बनने दे रहे हैं जाकर सीट पर बैठिए । अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये और वहां से अपनी बात कहिये, अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिये। आपका आज मुद्दा ही नहीं है, जिन मुद्दों को लेकर आप वेल में आये हैं उन सारे मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है । अब उसके बाद सवाल कहां है ?

(व्यवधान जारी)

इसलिए अपने स्थान पर जाइये । अपने स्थान पर जाकर कहिये तो मैं सुनूंगा आपकी बात, वेल से कैसे कोई बात सुनी जायेगी, जायें अपने स्थान पर मैं सुनूंगा उनकी बात, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं और सरकार आपकी इजाजत से इनकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार है । महोदय, हम हर समय तैयार हैं इनकी सारी बातों का जवाब देने के लिए लेकिन ये लोग तो फर्जी हमदर्दी चाहते हैं, ये फर्जी हमदर्दी चाहते हैं । मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी कोर्ट ने रोका तो उच्चतम न्यायालय में भी हमलोग लड़ रहे हैं और 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा की जा चुकी है तो यहां केवल इनको व्यवधान करना है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपलोग । आप इतने सीनियर विधायक हैं और ये कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, आपको बच्चे देख रहे हैं ऊपर से, बच्चे क्या छवि

बनायेंगे आपके दल के बारे में, क्या छवि बनेगी आपकी ? अब इश्यू ही नहीं रहा, विषय कहां है । जो विषय आप उठाना चाहते हैं उस विषय पर सरकार ने अपनी बात कही, आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है । आप अपने स्थान पर जाइये मैं सुनने के लिए तैयार हूँ फिर क्यों वेल में हैं, फिर क्यों हंगामा हो रहा है ? इसलिए कृपया अपने स्थान पर जाइये और अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिये । मैं अवसर दूंगा आपको अपनी बात कहने का, मैं अवसर देने के लिए तैयार हूँ और आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं । क्या चाहते हैं सदन नहीं चले ? क्या चाहते हैं केवल हंगामा करना चाहते हैं, सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं, जनहित के मुद्दे को उठाने से रोकना चाहते हैं, अपने सदस्यों के प्रश्नों को नहीं होने देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सवाल यह है कि आखिर आप चाहते क्या हैं? जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका समाधान हो गया सरकार ने साफ-साफ जवाब दे दिया तो अब मुद्दा क्या है ? अपने स्थान पर जाइये और वहां से अपनी बात कहिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : मुख्यमंत्री जी ने तो सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से बता दी जाति गणना से लेकर आरक्षण सीमा बढ़ाया जाना, ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने सिलसिलेवार बता दी है । अब चाहते क्या हैं ? यह समझ में नहीं आता है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष: श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी । माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-191(श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी)क्षेत्र सं0-240,सिकन्दरा

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : क्या करें बोलिये, नहीं चाहते हैं सदन चले, सदन नहीं चलाना चाहते हैं । अरे कैसे बोलने दें आप जाइये अपने स्थान पर, सबको बोलने देंगे जाइये । आप जाइये अपने स्थान पर बोलने देंगे । आप जाइये अपने स्थान पर हम बोलने देंगे आपको । आप स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं, वेल में खड़े रहेंगे और कहेंगे कि बोलने दीजिए ऐसा कभी हुआ है क्या ? आप पूछिए अवध बिहारी बाबू से ऐसा होता है क्या ? इन्होंने कभी होने दिया क्या ? आप वेल से अपने स्थान पर जाइये मैं बोलने का पूरा अवसर दूंगा । अगर आप चाहते हैं कि सदन में जनहित में मुद्दे नहीं उठे, आप चाहते हैं कि जनहित के मुद्दे का समाधान नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन जिस विषय का समाधान हो गया, जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वह हो रहा है पहले से तो फिर क्यों वेल में खड़े हैं यह बात मेरे समझ में नहीं आती । इसलिए मैं

फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने-अपने स्थान पर जाइये और जो बात आपको कहनी होगी वह आपको कहने का अवसर देंगे । पहले अपने स्थान पर जाइये तब अवसर देंगे । अवध बिहारी बाबू से हमने सीखा है यही करते थे वे जब तक हम जाते नहीं थे अपने स्थान पर तब तक वे बोलने नहीं देते थे । इसीलिए उन्हीं से सीखा है । बताइये भाई अपने मेंबर को बताइये आप जो करते थे वही तो मैं कर रहा हूँ तब क्यों हो रहा है ऐसा ? अब आपकी बात मेरी समझ में आ रही है आप केवल चाहते हैं कि सदन नहीं चले, आप केवल समाचार पत्रों में माइलेज लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं नहीं तो आप अपने स्थान पर जाइये । अपने स्थान पर जाइये मैं आपकी बात सुनूंगा और नहीं जाना चाहते हैं तो अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-4/पुलकित/24.07.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब विधायी कार्य लिये जायेंगे । बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 ।

प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण महत्वपूर्ण विषय है ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इनका क्या कार्य स्थगन था, उसे सुन लिया जाए ।

अध्यक्ष : आप तो सरकार में भी रहे हैं और आप पुराने सदस्य हैं और आप जानते हैं कि 02 बजे के बाद कार्य स्थगन नहीं होगा । जब कार्य स्थगन का समय था, जब मैं बार-बार कह रहा था बैठिए और कार्य स्थगन समय पर उठाईयेगा, अपने स्थान पर जाइये । तब आप अपने स्थान पर गये नहीं, आपने अपना समय नष्ट किया है, अब इस सवाल को खड़ा करने का क्या सवाल है ? जब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में साफ-साफ पूरी बात बता दी तो विचार का अब विषय नहीं है ।

प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

वेल में आने के बाद वहॉं से कोई बात नहीं सुनी जायेगी । विपक्ष का सम्मान तो सबसे ज्यादा मैं ही कर रहा हूँ । मुझे मालूम है, मैं भी विपक्ष में रहा हूँ, कितना सम्मान हुआ है मैं जानता हूँ और आज जितना सम्मान आपका कर रहा हूँ उतना तो कभी नहीं हुआ है । आप नहीं चाहते हैं उस विषय पर विचार-विमर्श करना । आपको मैंने अवसर दिया, कहा बार-बार जाइये, आपको बोलने का अवसर देंगे लेकिन आप गए नहीं । आप केवल शोरगुल करते रह गये, अब कोई विषय नहीं है ।

माननीय मंत्री जी ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सुन लीजिए, आप जो शोरगुल कर रहे हैं । आप सरकार का समर्थन करना चाहते हैं या जो आपके सदस्यों ने संशोधन दिया हैं उसका विरोध करना चाहते हैं पहले साफ करिये । आप शोरगुल करके क्या चाहते हैं ? सरकार की मदद करना चाहते हैं या विधायकों को वंचित करना चाहते हैं ?

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया है ।

अतः सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा ।

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड-2 में चार संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड- 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड- 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-10 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-11, 12, 13, 14, एवं 15 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-11, 12, 13, 14, एवं 15 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11, 12, 13, 14, एवं 15 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-16 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-16 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-16 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-17 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-17 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-17 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-18 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-18 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-18 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-19 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-19 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-19 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-1 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"अनुसूची इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।"

महोदय, यह विधेयक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है । जो आज इस सदन में हमलोगों ने....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जिस माननीय सदस्य का मोबाईल बज रहा है, कृपया साइलेंट करिये । किसी माननीय सदस्य का मोबाईल बज रहा है, अपना-अपना मोबाईल चेक कर लीजिये ।

(व्यवधान)

जिस माननीय सदस्य का मोबाईल छूट गया है उनको भिजवा दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : असल में जाने की हड़बड़ी रहती है इसलिए मोबाईल छूट जाता है । महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम बनाने की प्रक्रिया इस सदन में चल रही है ।

(क्रमशः)

टर्न-5/हेमन्त/24.07.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः): क्योंकि यह विधेयक जो आया है इसके पीछे एक बड़े लंबे समय का परिप्रेक्ष्य रहा है, बैकग्राऊंड रहा है । महोदय, इसके पहले कि मैं विधेयक के बारे में कुछ कहूं, मुझे एक चीज का बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह विधेयक तो परीक्षाओं में या जो परीक्षाएं, चाहे दो ही चीज के लिए होती हैं, या तो नियुक्तियों के लिए होती हैं या नामांकन के लिए होती हैं और उसमें इस तरह की गड़बड़ी करने वाला चाहे कोई व्यक्ति हो, व्यक्तियों का समूह हो, कोई सेवा प्रदाता यानी एजेंसी हो उनके खिलाफ कानून बन रहा है और गड़बड़ी करने वालों को जब दंडित करने के नियम और कानून इस सदन में बनाये जा रहे हैं, तो आखिर इस तरह का अपराध करने वाले को बचाने के लिए विपक्ष का यह रवैया कि इस कानून के बनने के समय वे सदन से बहिष्कार कर गये, लगता है कि इन अपराधियों को दंडित करने के लिए जो सरकार ने संकल्प लिया है उससे इन्हें परेशानी हो रही है और यह बिल्कुल ही उचित बात नहीं है । महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक तो जमाने में, एक लंबे समय के बाद कभी-कभी आते हैं और इस विधेयक के समय ये लोग बाहर चले जायें । महोदय, यह बिहार की जनता जरूर देख रही होगी कि आखिर गड़बड़ करने वाले लोगों से इनका क्या रिश्ता है, क्यों इनको परेशानी हो गयी जब यह कानून सदन में बन रहा है, तो ये लोग बाहर चले गये ।

महोदय, आप भी अवगत है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पूरे देश में विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मामले उजागर हो रहे थे । चाहे नियुक्ति का मामला हो, नामांकन का मामला हो, अलग-अलग जो नियुक्ति प्राधिकरण हैं उनके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें जो गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी, तो समझिये कि यह वाजिब रूप से देश की विधायिका और इस प्रदेश की विधायिका के लिए चिंता का विषय हुआ और सरकार ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है । प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में घोषणा की थी कि इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए हम सख्त कानून बनायेंगे, यहां भी मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी कि हम लोग गड़बड़ी करने वालों के लिए सख्त कानून बनायेंगे और महोदय, अभी इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक-से-एक संवेदनशील मामला और सनसनीखेज मामला सामने आया है । नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है ।

बिहार में भी एकाध परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली है और जो हमें सूचना है कि पिछले दिनों में लगभग 16 राज्यों में 48 ऐसे मामले आये हैं कि इस तरह की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है । स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चिंता इस संबंध में बढ़ी हुई थी और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी पिछले महीने में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम केंद्र सरकार ने बनाया और उसमें राज्य सरकारों से अपेक्षा की गयी थी कि इसके आधार पर, चूंकि सभी परीक्षाएं केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां ही नहीं करती हैं, बिहार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी होती हैं, तो यह अपेक्षा की गयी थी और आज उसी परिप्रेक्ष्य में यह बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक हमने सदन में प्रस्तुत किया है । महोदय, यह बात जरूर है कि इस संबंध में बिहार में एक बार प्रयास हुआ था । 1981 में एक बार प्रयास किया गया था जिस समय नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ गयी थी और लगातार इस तरह की बातें आ रही थीं, तो उस समय में जो इन परीक्षाओं में अनुचित साधन निवारण का एक कानून आया था, लेकिन वह कानून उतना प्रभावकारी या उतना सख्त नहीं था, क्योंकि उसमें मात्र छः महीने तक की सजा थी या दो हजार रुपये तक का जुर्माना था और धीरे-धीरे वह कानून भी एक तरह से निष्प्रभावी हो गया था । ऐसे संदर्भ में जब केंद्र ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में लागू होने वाला लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम बना दिया है, फरवरी में संसद ने उसका अधिनियमीकरण कर दिया है । जुलाई से इसी महीने से वह कानून पूरे देश में, जो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं संचालित होती हैं उनमें लागू हो गया है, तो उसी के अनुसरण में जो अपेक्षा की गयी थी राज्य सरकारों के द्वारा, तो आज हम लोग कानून बनाने के लिए इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किये महोदय । यह पहली दफा इस तरह के कृत्यों को अपराध की श्रेणी में डालकर अलग-अलग ढंग से उनको सख्त-से-सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है और इसमें अनुचित साधन जिसको अनफेयर मीन्स कहते हैं उसको भी परिभाषित किया गया है और महोदय, उसकी सूची बहुत लंबी है । उसमें हम समझते हैं कि सभी माननीय सदस्य सजग हैं, जो बिल की कॉपी दी गयी है उसमें उसकी अनुसूची शामिल है कि कौन-कौन से कृत्य, जो अनुचित साधन माने जायेंगे, अनफेयर मीन्स माने जायेंगे और महोदय, इसमें अनेक तरह के जो अपराध हैं उसमें अनेक तरह की श्रेणियां भी हैं कि गड़बड़ी करने वालों की भी लगभग तीन-चार श्रेणी मानी गयी हैं। एक तो, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने स्तर से कोई गड़बड़ी करता है, तो वैसी हालत में उनको तीन से पांच वर्ष तक की सजा है और दस लाख तक का

जुर्माना है । तो जहां यह पहले बहुत कम था और उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है और इसे पूरी मुस्तैदी से लागू करने का सरकार प्रयास करना चाहती है जिससे कि इस तरह का यह कुकृत्य नहीं हो, क्योंकि इससे मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है । जो सही ईमानदार छात्र होते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं उनके साथ नाइंसाफी होती है उसको रोकने के लिए यह सख्त कानून बनाया गया है । इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं यानी कोई नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई गड़बड़ी की जाती है, तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको एक करोड़ रुपये जुर्माना तक का प्रावधान किया गया है । महोदय, हमें पूरी उम्मीद है कि इस कानून के आने के बाद इसकी सख्ती देखकर शायद ही कोई सेवा प्रदाता इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा और अगर इसमें वह पकड़ा जाता है, तो चार वर्षों के लिए उसे डिबार करके सरकार ने कोई दूसरा काम नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है और इससे भी अधिक कि अगर कोई सेवा प्रदाता है उसका हाई पोजिशन मतलब ऑफिस बेयरर्स हैं मतलब डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं इस तरह के अगर लोग हैं, तो उनके मामले में और भी ज्यादा सजा है, और भी ज्यादा जुर्माना है । महोदय, इसके अलावा भी कि अगर कोई संगठित ढंग से कि ये चाहे एजेंसी वालों को विश्वास में लेकर हो, उनके जो पदाधिकारी हैं या उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके द्वारा हो, अगर संगठित किस्म के वे अपराध करते हैं, तो समझिये उनमें तो पांच वर्ष से दस वर्ष तक की सजा है और एक करोड़ रुपये जुर्माना की बात है । अगर उनके पदाधिकारी गड़बड़ करते हैं, तो कम-से-कम एक करोड़ रुपया जुर्माना है और इसके अलावा उस एजेंसी की प्रोपर्टी को या उसकी संपत्ति को जब्त करके समपहरण का भी प्रोविजन किया गया है कि उनकी सारी संपत्ति जब्त भी कर ली जायेगी । महोदय, इसको और अच्छा, चूंकि इसकी जांच या इसका अनुसंधान प्रोपर ढंग से हो...

(क्रमशः)

टर्न-6/धिरेन्द्र/24.07.2024

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसलिए इसमें यह भी प्रावधान है कि इसके जो आई०ओ० होंगे, अनुसंधान पदाधिकारी जो होंगे वे न्यूनतम डी०एस०पी स्तर के अधिकारी होंगे, सामान्य एस०आई० या ए०एस०आई० इसकी जाँच नहीं करेंगे, इसका अनुसंधान नहीं

करेंगे । इसलिए इसमें यह भी प्रावधान है कि डी॰एस॰पी॰ स्तर के ही इसमें आई॰ओ॰ होंगे और महोदय, जितने तरह की इसमें गड़बड़ी करने की संभावना है सरकार ने सुविचारित ढंग से सभी गड़बड़ी करने के तरीकों को ध्यान में लेकर इसमें डाला है कि ये सब चीज अगर कोई काम करता है तो वे अनफेयर माना जायेगा और उनको इस कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जायेगी और महोदय, इसमें एक अनुसूची भी है जिसमें यहाँ के जो नियोक्ता प्राधिकार हैं, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार कर्मचारी यचन आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद है एवं अन्य प्राधिकरण भी हैं जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हैं, जिनसे राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्तियों या नामांकन के सिलसिले में परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व देती हैं और महोदय, इसमें अगली कड़ी भी आने ही वाली है कि केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम को बनाने के बाद जो ऑनलाईन आजकल व्यवस्था चली है उसको भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, उसको भी हमलोग लायेंगे, तो यह समझिये कि जो इस प्रदेश या देश के भविष्य युवा होते हैं, जो युवा छात्र होते हैं उनमें जो मेधावी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं जो ईमानदारी से कोशिश करते हैं उनके इस ईमानदार प्रयास में कोई धोखा न करे, कोई उसके साथ छेड़-छाड़ न करे, इसके लिए महोदय, बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने और सुरक्षित करने के लिए यह महत्वपूर्ण अधिनियम बनेगा जो विधेयक हमने पेश किया है । इसीलिए मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024'' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर: स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024'' पर विचार हो ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024'' पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडश: लेता हूँ । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में दो संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : संशोधन प्रस्तुत करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (3) के बाद एक नया उपखंड (3) (क) निम्न रूप में जोड़ा जायः-

''व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा उपभोक्ताओं से जो सेवा कर लिया जाता है सरकार को जमा करने की सत्यता प्रमाणित किया जाय ।''

महोदय, मैंने जो यह संशोधन दिया है वह यह दिया है कि जी॰एस॰टी॰ जब से लागू हुआ है वर्ष 2017 से और सिफारिश हुई है जी॰एस॰टी॰ परिषद् की 50वीं और 52वीं बैठक में, उसके तत्वाधान में यह संशोधन हो रहा है । मैं उसमें एक बात जो शामिल करने की गुजारिश कर रहा हूँ वह सिर्फ इसलिए कि कर जो लिया जा रहा है, पिछले दिनों कैश मेमो होता था, कार्बन कॉपी होती थी, जो लिया जाता था वह लिखा जाता था, आजकल प्रिंट-आउट दिया जा रहा है । हम होटलों में जा रहे हैं, दूसरे व्यवसाय प्रतिष्ठानों में जा रहे हैं, वे हमें स्लिप देते हैं और हमसे जी॰एस॰टी॰ लेते हैं । वह जी॰एस॰टी॰, वह स्लिप सही है या गलत, वह सरकारी खाते में नियमित तौर पर राशि जमा हुई या नहीं हुई, इसके बारे में बड़ा संकोच रहता है, चूंकि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए कोई ऐसी विधि सामने में लायी जाय कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, हम इत्मिनान हो जाएं कि मेरा टैक्स वाकायतन खाते में जमा हुआ । महोदय, खून और पसीने की कमाई है और वह सरकार के खाते में जमा होनी चाहिए । वह सत्यता कम-से-कम लोगों को मिल सके, इसके लिए कोई प्रावधान किया जाय । इसीलिए मैंने यह संशोधन दिया है, यह जनहित में ही है, सरकार के हित में है । यह टैक्स चोरों को पकड़ने का भी एक तरीका होगा चूंकि बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं और वह टैक्स जमा नहीं करते हैं । इसलिए इसको शामिल किया जाय और महोदय, एक बात मैं कहूँगा कि एक छोटी-सी आयु रही है इस सदन में, मशवरे आते हैं और सबसे बुनियादी काम जो इस सदन का है वह कानूनसाजी का है और कानूनसाजी में मशवरे लिये जायें । अफसरशाहों के जरिये से जो बनाकर भेजे जाते हैं उसमें फुलस्टॉप और कौमा भी चेंज नहीं हो तो आखिर क्या फायदा । कभी-कभी कुछ परम्पराएं, महोदय, आपसे बड़ी उम्मीद है....

अध्यक्ष : लोकतंत्र है ।

श्री अखतरूल ईमान : जी महोदय, लोकतंत्र है ।

अध्यक्ष : लोकतंत्र में बहुमत का मान होता है, आदर होता है । बहुमत से ही निर्णय होते हैं, आप जानते हैं ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, बड़ी उम्मीदे हैं कि कुछ मशवरे माने जायें और यह जनहित का मुद्दा है इसे स्वीकार करने हेतु निर्देशित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (3) के बाद एक नया उपखंड (3) (क) निम्न रूप में जोड़ा जाय:-

''व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा उपभोक्ताओं से जो सेवा कर लिया जाता है सरकार को जमा करने की सत्यता प्रमाणित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में दो संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024'' स्वीकृत हो ।

अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण कर सेवा है जो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में इसे लागू किया गया । बाद के दिनों में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे बिहार में भी इसको लागू करने का काम, जी॰एस॰टी॰ कानून की प्रक्रिया/प्रणाली लागू की गई । यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके माध्यम से बिहार जैसे राज्य को काफी फायदा हो रहा है जी॰एस॰टी॰ के माध्यम से....

...क्रमशः....

टर्न-7/संगीता/24.07.2024

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज देश में 2023-24 में 11 प्रतिशत अधिक वृद्धि करके राजस्व का संग्रह किया जा चुका है और चालू वित्तीय वर्ष में भी जो प्रथम तिमाही का हुआ है उसमें 7 प्रतिशत अधिक वृद्धि का पूरा संकेत हमलोगों को मिला है और इसके साथ-साथ लगातार जी0एस0टी0 कौंसिल की बैठक राष्ट्रीय स्तर पर होती है और जी0एस0टी0 कौंसिल में कई सुझाव सभी राज्यों के माध्यम से आते हैं । इसमें जो 2-3 सुझाव आए हैं, जिसको हमलोग संशोधित करने का काम कर रहे हैं जैसा कि माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान साहब बता रहे थे कि पूरी तरह सत्यापित करने के बाद ही इन चीजों को करना चाहिए । इस विभाग के माध्यम से जी0एस0टी0 कर में जो वसूली की जाती है पूरी तरह इसको सत्यापित भी की जाती है और एक-एक लोगों को जोड़ने का काम भी किया जाता है और जो राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि यह तय हुआ है कि सेंट्रल जी0एस0टी0 हो या स्टेट जी0एस0टी0 हो दोनों को एक तरह का कानून बनाने का काम करना है चाहे वह भारत सरकार कोई संशोधन करे तो राज्यों को भी उन सारे संशोधन करने का काम हमलोगों को करना है । इसमें मूलतः दो-तीन तरह के संशोधन हमलोगों ने लाया है जी0एस0टी0 के माध्यम से कि जो करदाता है वह यदि किसी राष्ट्रीय स्तर पर कहीं एक जगह से किसी

कंपनी का संचालन करने का काम करते हैं तो पूरे देश में इसका लाभ मिले और जिस राज्य में जो भी उनका काम होता हो चाहे वह विज्ञापन का काम हो, प्रसारण का काम हो तो उसका टैक्स का लाभ उस राज्य को मिल सके, यह पूरी व्यवस्था इसमें चेंजेज करने का काम किया है जिसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इसमें जोड़ा गया है । इसके साथ-साथ एक और सुझाव इसमें जोड़े गए हैं कानून के तौर पर कि तंबाकू बनाने वाले, पान-मसाला आदि ऐसे वस्तु जिसको जो बनाने का काम करते हैं, वह जो पैकिंग मशीन होता है उसकी जो कैपिसिटी होती है उसके आधार पर टैक्स हमको नहीं मिलते तो उसका पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है, उस पर टैक्स देने का काम किया गया है और यह नया प्रावधान क्योंकि जी0एस0टी0 कौंसिल के माध्यम से सारे राज्यों को सुझाव दिया गया कि जी0एस0टी0 अधिनियम में एक नई धारा-122 को जोड़ने का प्रस्ताव इसमें लाया गया है । इसके साथ-साथ अभी कई चीजों पर जी0एस0टी0 कौंसिल के 53वें बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए जैसे प्लेटफॉर्म के टिकट, वेंडिंग रूम, क्लॉक रूम की सेवा पर जो जी0एस0टी0 कर लगते थे, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भारत की सरकार और राज्य की सरकार करने जा रही है, ये सारे प्रस्ताव उसमें पारित करने का काम किया गया है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, इससे बिहार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और बिहार जैसे गरीब राज्य, आर्थिक रूप से जी0एस0टी0 के माध्यम से हमको फायदा भी होगा । इसके साथ-साथ एक और इसमें शिथिल किया गया है कि आई0टी0सी0 एक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले जो समयसीमा छूट प्रदान की जाय, यह लगातार पुरानी मांग होते थे सारे करदाता से । इसके मद्देनजर 4 वर्षों अर्थात 2017 से लेकर 2021-22 तक के लिए अधिनियम-16 (4) को शिथिल करते हुए क्रेडिट क्लेम करने की समयसीमा का विस्तार किया गया है, ये इसमें जोड़ने का काम हमलोग कर रहे हैं । इसलिए अध्यक्ष महोदय, आगे भी कई चीजों पर जी0एस0टी0 कौंसिल लगातार निर्णय ले रही है । बिहार जैसे राज्य को पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो जी0एस0टी0 परिषद् द्वारा गठित समूह जीओएम में बिहार की भागीदारी हुआ करती थी और रेट रेशनलाइजेशन कमेटी में भी बिहार का संयोजक पहले भी आदरणीय सुशील मोदी जी थे, इस बार हमलोगों को बिहार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है इसके लिए भी भारत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं । साथ ही साथ रियल एस्टेट में भी जो पूरे देश में मंत्री समूह बने हैं उसका भी हमलोगों को इसमें एक सदस्य के तौर पर जोड़ने का काम किया है । इसलिए यह ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक'' पूरी तरह राज्य

के हित में है और माननीय सदस्य से भी मैं कहूंगा कि यह राज्यहित में है । सारे जो आप सत्यापित करने की बात करते हैं कभी लिख कर भी दे दीजिए उसकी पूरी जांच कराने का काम सरकार करेगी । सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस संशोधन विधेयक को पारित करने का काम करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है

''बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

<u>विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श</u>

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अत: सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड-2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक के अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-8 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-9 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-9 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-10 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-11,12,13,14,15,16,17,18,19 एवं 20 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-11,12,13,14,15,16,17,18,19 एवं 20 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11,12,13,14,15,16,17,18,19 एवं 20 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-21 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-21 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-21 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-22, 23 एवं 24 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-22, 23 एवं 24 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-22, 23 एवं 24 इस विधेयक के अंग बने ।

(क्रमशः)

टर्न-8/सुरज/24.07.2024

(क्रमशः)

अध्यक्ष : खंड-1 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

प्रस्तावना में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आज बिहार पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य है । राज्य में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होने तथा भूमि की उपलब्धता सीमित होने के फलस्वरूप, हाल के वर्षों में बहुमंजिली इमारतों/अपार्टमेंटस/व्यावसायिक भवनों/अस्पतालों/विभिन्न कार्यालयों/सरकारी भवनों आदि का निर्माण तीव्र गति से हुआ है, जिससे इन बहुमंजली इमारतों में वर्तमान समय में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के उपयोग में कई गुणा वृद्धि हुई है ।

लिफ्ट एवं एस्केलटरों के संचालन के क्रम में देश के विभिन्न स्थानों में घटित अथवा संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुये इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम के निरूपित किये जाने हेतु राज्यों से अपेक्षा की गयी है । इसी क्रम में झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल आदि सहित कई राज्यों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के सभी वर्गों एवं उससे संबंधित सभी मशीनरी तथा उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन रख-रखाव के निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने हेतु लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम एवं इससे संबंधित नियमावली निरूपित किये गये हैं ।

बिहार राज्य में उपयोग में लाये जा रहे लिफ्ट एवं एस्केलेटर पर प्रभावी नियंत्रण एवं इसके सुरक्षात्मक उपायों के लिये अब तक कोई प्रशासनिक तंत्र विकसित नहीं था, जिससे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इन मशीनरी एवं उपकरणों के सही संचालन के लिये प्रभावी निगरानी रखी जा सके तथा सुरक्षात्मक चूक की संभावना नहीं रहे एवं किसी आपात स्थिति में तय मानक के अनुसार स्वचालित बचाव उपकरण (Automatic Rescue Device) एवं आपातकालीन बचाव उपकरण (Emergency Rescue Device) की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके ।

महोदय, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात राज्य के सभी भवनों एवं प्रतिष्ठानों में अधिष्ठापित एवं भविष्य में लगने वाले लिफ्ट एवं एस्केलेटर का विद्युत निरीक्षणालय से पंजीकरण किया जाना अनिवार्य हो जायेगा । पूर्व से अधिष्ठापित लिफ्ट एवं एस्केलेटर का पंजीकरण इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से 6 माह के अंदर कराया जाना होगा । तीन वर्ष में कम से कम एक बार इसका आवधिक निरीक्षण (Periodical Inspection)/जांच आवश्यक होगा । निरीक्षण कार्य विद्युत निरीक्षणालय अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/अभिकर्त्ता द्वारा किया जा सकेगा ।

लिफ्ट एवं एस्केलेटर मालिकों द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध दण्ड का भी प्रावधान किया गया है । दोष सिद्ध होने पर तीन माह तक का कारावास या रु0 50,000/- का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा ।

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद के अलावे कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

इन दिनों बिहार राज्य में अधिष्ठापित लिफ्ट/एस्केलेटर की अनुमानित संख्या 10,000 (दस हजार) के लगभग है । निरूपित किये जाने वाले नियमावली से लिफ्ट एवं एस्केलेटर का प्रति अधिष्ठापन पंजीयन शुल्क के रूप में 2,000.00 (दो हजार) रुपये एवं आवधिक निरीक्षण शुल्क के रूप में 1875.00 (एक हजार आठ सौ पचहत्तर) रुपये प्राप्त होगा ।

मोटर वाहन की तरह आमजन की सुरक्षा के लिये लिफ्ट अथवा एस्केलेटर के उपयोग के क्रम में किसी दुर्घटना से हुई क्षति की भरपाई हेतु तृतीय पक्ष बीमा (Third Party Insurance) का प्रावधान किया जाना होगा । किसी प्रकार के दुर्घटना, चोट अथवा अपंगता की स्थिति में बीमा के नियमों के तहत पीड़ित व्यक्तियों का समुचित ईलाज अथवा आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सकेगी । किसी भी लिफ्ट अथवा एस्केलेटर का जीवनकाल अधिकतम 20 वर्ष का होगा । 20 वर्ष की अवधि के पश्चात इसे बदलना होगा ।

लिफ्ट एवं एस्केलेटर के लगातार बढ़ते उपयोग एवं इस पर निर्भरता को देखते हुये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसके निरापद संचालन के लिये इसे निनियमित किये जाने की आवश्यकता है ।

राज्य में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के सभी वर्गों एवं उससे संबंधित सभी मशीनरी तथा उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रख-रखाव के निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करना बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक-2024 का मुख्य उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही विधेयक का अभीष्ट है ।

अत: महोदय मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक-2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक-2024 स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-349(2) के तहत जी0एस0टी0एन0 का वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 के तहत बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 342वां प्रतिवेदन एवं गृह विभाग से संबंधित 345वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति ।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-71 (इकहत्तर) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, शून्यकाल जो हमलोग बहुत परिश्रम से सभी माननीय सदस्य दिये हैं, वह भी समाप्त हो गया और ध्यानाकर्षण भी पिछला बार जो दिया गया वह भी समाप्त हो गया तो महोदय आग्रह होगा कि इसको कमेटी को कम से कम भिजवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : बैठा जाइये प्रमोद जी, आप तो पुराने सदस्य हैं ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 जुलाई, 2024 के लिये माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है ।

शून्यकाल

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामनगर में निबंधन कार्यालय नहीं होने से लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है । मैं सरकार से मांग करती हूं कि रामनगर प्रखण्ड में निबंधन कार्यालय खोला जाय ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए उनके गन्ने का सही तौल हो, सरकार से सरकारी स्तर पे घर्मकांटा लगवाने की सदन से मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज तथा टेढ़ागाछ प्रखण्ड में कनकई तथा रेतुआ नदी से आशा धापरटोली, हवाकोल, पुराना टेढ़ागाछ, खाड़ीटोला सतमेदी, गुवाबाड़ी, हाथीलदा, महेशबथना, खुजूरबाड़ी, मुसलडंगा, इत्यादि बसावटों में भीषण कटाव जारी है ।

मैं सरकार से उपरोक्त बसावटों को अविलंब कटावरोधक कार्य करवाकर सुरक्षित करने की मांग करता हूं ।

डॉ0 मुरारी मोहन झा : महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी गरीब भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कर आवास हेतु जमीन उपलब्ध करा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाय ताकि वे स्थायी रूप से बिना किसी परेशानी के रह सके ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड-शेरघाटी के ग्राम पंचायत-दाब चिडैयां के ग्राम-सोनडीहा से ग्राम-कजरसोत तक नवनिर्मित सड़क के शेष भाग के निर्माण हेतु मांग करती हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, बिहार में धान की रोपनी जोरो पर है । नहरों में पानी नहीं आ रहा है । कृषि फीडर में बिजली मात्र 8 घंटे ही रहती है । ?

अत: 24 घंटे बिजली और नहरों के अंतिम छोर तक पानी आपूर्ति की मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, पूर्वी-चम्पारण जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क शेखपुरवा-फेनहारा पथ के चौड़ीकरण करवाने की मांग करता हूं ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएं संविदा पर करना नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं है । बावजूद वर्षो से ज्ञापांक-3/एम0-63/2013सा0प्र0 1000 विरुद्ध पी0एम0सी0एच0 में आई0एस0 ठाकुर, पर्यटन विभाग में अभिजीत कुमार एवं बिहार पुलिस निगम में प्रकाश चन्द्रा को तत्काल हटाकर नियमित बहाल करने की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, प्रदेश में कार्यरत सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रयास केन्द्र एवं विद्यालय चलो केन्द्र, उत्कर्ष/उत्प्रेरण केन्द्र के स्वयं सेवकों को सरकारी सेवा में समायोजन करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री उमाकान्त सिंह : महोदय, बिहार राज्य के पंचायत के विकास कार्यों को ठेकेदारों या एजेंसियों के माध्यम से कराने से त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है और कार्यों के गुणवत्ता में कमी हो सकती है ।

अत: इस प्रस्ताव को वापस करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार : महोदय, गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत परैया एवं गुरारू प्रखण्ड को जोड़ने हेतु मोरहर नदी पर टड़वां वगाही के सामने नया पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री राम सिंह : महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र बगहा के ग्राम रतवल में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण हेतु पूर्व उद्योग मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी । जिसके लिए 17.19 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया है ।

अत: मेगा टेक्सटाइल पार्क निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु मांग करता हूं ।

श्री अरूण कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बरूराज विधान सभा क्षेत्र अतर्गत बाँस घाट पंचायत के बंगरा फिरोज और महमादा पंचायत के मकड़ी टोला महमादा में डंडा नदी पर पुल का निर्माण होने से मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण की जनता को आने-जाने में काफी सुविधा होगी ।

अत: मैं सरकार से उक्त स्थानों पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, राज्य में 2.40 लाख विद्यालय रसोइया कार्यरत हैं जो 1650 रुपये के अपमानजनक मासिक मानदेय पर कार्य कर रही है । सरकार ने खाना आपूर्ति का जिम्मा एन0जी0ओ0 को सौंपा है । इससे इनकी सेवा असुरक्षित हो गयी है । सरकार इनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करे और खाना आपूर्ति से एन0जी0ओ0 को बाहर करें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, बिहार में अपराधी पुलिस गठजोड़ द्वारा अपराध से आम आदमी असुरक्षित है । सीवान में गत एक माह में अपराधियों की गोलीबारी से दर्जन भर मौत हो चुकी है । दिनांक-20.07.2024 को माले नेता जयशंकर पंडित के घर पर गोलीबारी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्री सउद आलम : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के बरचौंदी पंचायत के जमाल कमाल कब्रिस्तान चौक से मीराभिट्टा घेघाटोली गांव को जोड़ने वाली पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क जो कि स्वीकृत है, इसका टेंडकर प्रक्रिया जल्द पूरा कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत फारबिसगंज प्रखंड के परवाहा पंचायत के एस0एच0 चौक से परवाहा बाजार होते हुए घीवहा नहर तक एवं

बथनाहा पंचायत के बीरपुर चौक से हाटचौक होते हुए श्यामनगर तक जलजमाव समस्या के निराकरण हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत अरेराज नगर पंचायत के हरदियां चौक से योगियार, काली मंदिर होते हुए अरेराज-संग्रामपुर पथ तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण एवं साथ ही एक पुलिया का निर्माण अति आवश्यक है ।

अत: सरकार से उक्त वर्णित सड़क का चौड़ीकरण एवं पुलिया का निर्माण कराने की मांग करता हूं।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलांतर्गत नरपतगंज प्रखंड स्थित खैराचन्दा से फरही जाने वाली मुख्य सड़क वर्षों से अति जर्जर है जिसका Revised DPR प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विगत दो वर्षों से मुख्यालय का परिक्रमा कर रहा है । स्थानीय लोग सड़क जाम कर प्रदर्शन कर चुके हैं, को शीघ्रातिशीघ्र बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, प्रखंड अमनौर एवं बैसा में इस वर्ष आयी भीषण बाढ़ एवं कटाव से 350 से अधिक परिवार विस्थापित हो चुके हैं और उन लोगों को कोई राहत प्रशासन की ओर से नहीं दी गयी है ।

अत: मैं विस्थापित परिवारों को आपदा नियमावली के अनुरूप सहायता देने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद में फोरेंसिक जांच की सुविधा नहीं होने से जटिल मामलों में वर्षों तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती, जिस कारण आपदा से मौत में मृतक परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता, सदर अस्पताल जहानाबाद में फोरेंसिक लैब खोलने की मांग करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले में पुराने पावर ग्रिड एवं उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने से अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण जिलावासियों को काफी परेशानी हो रही है ।

अत: उपर्युक्त परिस्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पावर ग्रिड एवं शहरी क्षेत्र में पावर सबस्टेशन स्थापित करने हेतु, मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर शिवहर पथ में पूर्वी चंपारण जिला की सीमा पर अंजनाकोट में बूढ़ी गंडक नदी पर अवस्थित पुल के टूटे एप्रोच पथ का शीघ्र निर्माण करावें ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा अतर्गत तेघड़ा प्रखंड के चिल्हाय पंचायत में अवस्थित प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र को चाहरदीवारी एवं गेट निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत उच्चतर मध्य विद्यालय एवं +2 में छात्रों की संख्या के अनुपात में भवन निर्माण जैसे मध्य विद्यालय बैघनाथपुर, एरौत प्रखण्ड रोसड़ा, के0जी0 उच्च विद्यालय सिंघिया, +2 बंगरहट्टा प्रखण्ड सिंघिया एवं भगवत ठाकुर उच्च विद्यालय किशनपुर प्रखण्ड वारिसनगर इन विद्यालयों में भवन निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम छाछा में दलित समाज के भूमिहीन परिवार सौ वर्षो से घर बनाकर परती पर परिवार के साथ रह रहा है लेकिन भूमिहीन परिवार को वासगीत पर्चा नहीं दिया गया है ।

अत: उक्त भूमिहीन परिवार को पर्चा की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, राज्य के हजारों वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशन लाभुकों का आधार सत्यापन के दौरान सूची से नाम हटा दिया गया जिसके कारण हजारों लोग पेंशन योजना से वंचित हो गये हैं । पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर ऐसे जरूरतमंद लोगों को पुन: योजना का लाभ दिया जाय ।

श्री भारत भूषण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के लौकहा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत भुतही बलान नदी के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध विगत 10 वर्षो से काफी जर्जर है । दोनों तटबंध किनारे सैकड़ों गांव बसा हुआ है । जो नदी नेपाल से बहकर फुलपरास एन0एच0-57 से गुजरती है ।

अतएव उक्त तटबंध को पक्कीकरण करने की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी नगर चांदमारी चौक पर 26.06.2024 को पैक्स सचिव मा0 सदस्य जिला परिषद सुरेश प्रसाद यादव का अज्ञात अपराधियों द्वारा दिन में गोलियों से हत्या कर दिया गया । नगर थाना-369/24 दर्ज है ।

सरकार से मांग है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कराया जाय । जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा की जाय ।

मो0 इसराईल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन कर पारित प्रस्तावों का त्वरित कार्यान्वयन में पंचायत कार्य मैनुअल बनाये जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

अत: शून्यकाल के माध्यम से उक्त मैनुअल को शीघ्र वापस लने की मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग के अधीन चौधरीडीह से भागलपुर बायपास, जमसी, गोराडीह होते हुए बांका जिले के कोतवाली तक की सड़क का 10 मीटर चौड़ीकरण सहित निर्माण कराने एवं जगदीशपुर से सन्हौला तक की सड़क का 10 मीटर चौड़ीकरण सहित निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखण्ड के रामापुर महेशपुर पंचायत अंतर्गत बलुआही पोखर से बिहार राज्य का पहला जल-जीवन हरियाली पार्क होते हुए सिंडिकेट बैंक तक लगभग 02 किलोमीटर सड़क जर्जर अवस्था में है ।

अत: जनहित में शीघ्र सड़क बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड एवं कहलगांव प्रखण्ड के रानी दियारा, एकचारी, मोहनपुर, टपुआ, अंठावन, तौहफील, घोघा में गंगा नदी के कटाव से पुन: हजारों लोग बेघर के कगार पर हैं ।

अत: सरकार से उक्त स्थल पर यथाशीघ्र कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड के भैयापट्टी गाँव में बछराजा नदी पर निर्मित स्लूईस गेट 4 वर्ष पूर्व धवस्त हो गया । सिंचाई कार्य बंद है । धवस्त स्लूईस गेट की जगह नया स्लूईस गेट के निर्माण कार्य लघु जल संसाधन विभाग से करवाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां मुख्यालय शहरी विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1997 में निर्मित तीन सौ दुकानवाला तीन मंजिला अंबेडकर बाजार के सभी ब्लॉक सताईस साल से मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर स्थिति में है ।

अत: मैं सरकार से दुकानदारों की सुविधा हेतु जर्जर अंबेडकर बाजार के जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, पटना नगर निगम के फ्लाईओवर के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का निर्णय लिया है । फ्लाईओवर के नीचे वर्षो से ठेला एवं टोकरी में फल-सब्जी एवं मांस-मछली का रोजगार करते हैं, ऐसे में सभी बेरोजगार हो जायेंगे।

अत: तत्काल पटना नगर निगम द्वारा लिए गये फैसले पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अन्तर्गत मृत चौकीदार, दफादार के आश्रितों को पूर्व में जिस प्रकार अनुकम्पा के आधार पर बहाली की जाती थी, जो

अभी बंद कर दिया गया है । पूर्व की तरह पुनः बहाली करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

डॉ0 रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत वर्षों से बंद पड़े अशोक पेपर मिल रामेश्वर नगर के पास 330 एकड़ खाली जमीन उपलब्ध है। यहाँ कोई भी बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है ।

अतः मैं सरकार से उक्त खाली जमीन पर नए उद्योग लगाने की मांग करता हूँ ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के सोनपुर प्रखण्डान्तर्गत सबलपुर पूर्वी पंचायत के हस्ती टोला स्थित पी0डब्लू0डी0 पथ में सी0पी0 राय के घर के पास डबरा नदी पर स्थित पुराना पुल जर्जर हो गया है । उसमें कोई रेलिंग नहीं बचा है। इस स्थान पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण करावें ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार सभी 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रू0 सहायता राशि मिलनी है । लेकिन अंचल अधिकारी 6 हजार रू0 से कम आय वाले परिवारों को उनकी आय राशि का प्रमाण-पत्र नहीं दे रहे हैं । सरकार जरूरी निर्देशन दे यह माँग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, गोपाल कुमार यादुका, वार्ड सं0-6, भवानीपुर नगर पंचायत, पूर्णियां की हत्या अपराधियों द्वारा 02.6.2024 को कर दी गयी जिसका केस भवानीपुर थाना कांड सं0-112/24 दर्ज है । स्थानीय पुलिस प्रशासन की जांच की दिशा सही नहीं बतायी जा रही है ।

अतः एस0आई0टी0 गठित कर जांच कराये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड में हरिओ पंचायत के गोविन्दपुर मुसहरी के 350 मुसहर परिवार के लोग विगत कई वर्षों से खानाबदोश की जिन्दगी जी रहे हैं ।

अतः सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त 350 मुसहर परिवार के लोगों को बासगीत पर्चा देने की कृपा की जाय ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कार्यरत सरकारी विद्यालय में आई0सी0टी0 इंस्ट्रक्टर को एजेंसी से मुक्त करते हुए बिहार सरकार संहिता के अनुरूप पूर्णतः सेवाकालीन (60 वर्ष) में समायोजित करने की माँग सरकार से करते हैं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष नदियों के कटाव के कारण सैकड़ो परिवार विस्थापित होते हैं ।

मैं नरकटियागंज प्रखण्ड के हरदिटेढ़ा, तुमकड़िया एवं मझटिया गॉव सहित समस्त विधान सभा के नदी तटबंधित क्षेत्रों का सर्वे कार्य कराकर कटावरोधी कार्य कराने की मांग सरकार से करती हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, दिनांक-23 जुलाई, 2024 एवं आज दिनांक 24 जुलाई, 2024 के लिये निर्धारित ध्यानाकर्षण सूचनाओं को भी पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुर्पूद किया जाता है । ठीक है ।

दिनांक-23.07.2024 की पढ़ी हुई मानी गयीं ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ।

सर्वश्री प्रमोद कुमार, श्यामबाबू प्रसाद यादव वं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी के 4000 से 5000 मरीज आते हैं जिन्हें समुचित इलाज हेतु मात्र 700 बेड हैं । हल्की बारिश से पूरा अस्पताल जल जमाव के कारण अस्त व्यस्त हो जाता है । मगध क्षेत्र के आमजन का मुख्य चिकित्सा केन्द्र है ।

अतः बढ़ते हुए जनसंख्या को ध्यान में रखकर पी.एम.सी.एच. की तरह नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विकसित कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

सर्वश्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर (खेल विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कला संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने के लिये सरकार द्वारा खेल विश्वविद्यालय एवं खेल विभाग का गठन किया गया है परंतु विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय माने जानेवाले फुटबॉल खेल के लिये सरकार द्वारा न तो पंचायत स्तर से लेकर राजधानी पटना तक में कोई फुटबॉल के लिये स्टेडियम विकसित किया जा रहा है और न ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है । क्रिकेट पर सबका ध्यान है परंतु फुटबॉल उपेक्षित है ।

अतः पंचायत से लेकर राजधानी पटना तक में फुटबॉल के एक-एक स्टेडियम का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ ।

दिनांक-24.07.2024 की पढ़ी हुई मानी गयीं ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ।

सर्वश्री रामबली सिंह यादव, गोपाल रविदास एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में जलस्त्रोतों पर बसे गाँवों को नए जगह पर बसाने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है । इन जगहों पर बसा अधिकांश गाँव महादलित गरीबों का है, जिन्हें सुलभ मजदूर प्राप्त करने के उद्देश्य से आजादी के पूर्व में ही भू-स्वामियों ने बसाया था । उन्हें न तो खुद पता है कि हम किस किस्म के जमीन पर बसे हैं और न तो सरकार द्वारा उन्हें बताया गया है कि भविष्य में उन्हें कहाँ बसाया जाएगा । उन्हें पता तब चलता है जब या तो उनके विरूद्ध कोई पदाधिकारियों के पास आवेदन देता है अथवा उनके बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी योजनाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। असल में उन्हें जिस समय बसाया गया था, केवल दस्तावेजों में ही जलस्त्रोत थे ।

विकास के इस दौर में ऐसे जमीन पर बसे गरीबों की बड़ी आबादी को चापाकल, सामुदायिक भवन, चबूतरा जैसी बुनियादी सुविधाओं से अनिश्चित काल तक वंचित रखना विकास पर प्रश्न चिन्ह् खड़ा करता है ।

अत: नए जगह पर बसाने तक के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

डॉक्टर संजीव कुमार, श्री पंकज कुमार मिश्र एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश अन्तर्गत वर्ष 2016 से पहले गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद-बिक्री सहित लगान की रसीद कटती थी । लेकिन सिर्फ

उसी जमीन की, जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं थी और संबंधित जमीन की जमाबंदी कायम था । पिछले लगभग 8 वर्षों से वैसी गैर मजरूआ खास जमीन जो किसान और उनके पूर्वज 100 वर्षों से उस जमीन का लगान रसीद कटवा रहे थे, उनपर सरकार के द्वारा रोक की वजह से लगान रसीद नहीं कट रहा है । साथ ही उस जमीन की बंदोबस्ती भी नहीं हो रही है । इस कारण किसानों को सरकार से मिलने वाली फसल क्षतिपूर्ति सहित अन्य अनुदान का लाभ नहीं मिल पा रहा है । ज्ञात हो कि बिहार की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है और किसान किसी खास प्रयोजन में जमीन को बेच कर शादी सहित अन्य पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं । रोक की वजह से इन किसानों को सरकारी अनुदान सहित जमीन की खरीद बिक्री का लाभ नहीं मिल पा रहा है । इसलिए सरकार से गैर मजरूआ खास की जमीन जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है उसका लगान रसीद काटने की अनुमति देने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।